(92) (91)

माननीय राजस्व मण्डल (राजस्व बोर्ड) ग्वालियर म.प्र.

PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/3488 पुनरीक्षण या. प्रकरण क. /2017

प्रस्तुति दिनांक

आशीष पिता अशोक भौण्डे
आयु वयस्क जाति मराठा,
निवासी पटेल कालोनी दिग्ठान
जिला धार म.प्र. — प्राथी/आपत्तिकर्ता

विरूद्ध

1 अब्दुलरसीद कुरैशी पिता अब्दुल हफीज कुरैशी
आयु वयस्क धंधा सेवानिवृत्त कर्मचारी
निवास 7 तिलक नगर देवास म.प्र.

2 नागेश्वर मोहिते पिता यंशवत मोहिते
आयु वयस्क धंधा नौकरी
निवासी 50 ए भक्त प्रहलाद नगर
इंदौर म.प्र. — आवेदकगण/प्रतिपार्थीगण

3 मध्य प्रदेश शासन द्वारा
तहसीलदार महोदय धार म.प्र. —प्रतिपार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री आशीष जैन
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 11-09-2017
को प्रस्तुत।
649
11-09-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

19-9-17
19-9-12

पुनरिक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भु राजस्व सहितां

आपत्तिकर्ता/प्रार्थी की ओर से सविनय निवेदन है कि :–

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा वर्तमान पुनरिक्षण याचिका श्रीमान् तहसीलदार महोदय धार म.प्र. (पीठासीन अधिकारी श्री कनेश) द्वारा नामांतरण प्रकरण कमांक 85अ/6/16–17 मे आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अतंगर्त धारा 32 म.प्र. भुराजस्व संहिता, जिसमे आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदकगण/प्रतिपार्थी कमांक 1 एवं 2 द्वारा नामांतरण प्रकरण मे दिनांक 25/04/2013 को प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र मय शपथपत्र, विज्ञप्ती माननीय न्यायालय के अभिलेख मे बुलवाये जाने बाबद एवं उक्त आवेदन पत्रो की प्रतिलिपी जो आपत्तिकर्ता को आज दिनांक तक आवेदकगण द्वारा प्रदत्त नही की गई है, को आपत्तिकर्ता को प्रदत्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिससे माननीय अधिनरथ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश दिनांक 10/08/2017 को निरस्त किया गया होने से व्यथित होकर वर्तमान पुनरिक्षण याचिका निम्नानुसार सादर प्रस्तुत कर रहा है कि:–

...आपत्तिकर्ता एवं आवेदकगण को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये, जिस

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/3488

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-9-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम दिग्ठान स्थित प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 683/2 रकबा 1.024 हेक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 1 अब्दुल रसीद कुरैशी द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 नागेश्वर मोहिते से क्रय किये जाने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 44 पर अनावेदक क्रमांक 1 के नामांतरण की प्रविष्टि की गई और तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 1-6-2013 को प्रविष्टि प्रमाणित की गई । तदोपरांत पटवारी द्वारा तहसील न्यायालय को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने की जानकारी नहीं होने के कारण उसके द्वारा अज्ञानतावश उक्त प्रविष्टि की गई है, अत: प्रश्नाधीन भूमि पर किए गए नामांतरण का पुनर्विलोकन किया जाना उचित होगा । तहसीलदार, धार द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/2012-13/अ-6 पंजीबद्ध कर दिनांक 11-6-2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 2835-दो/13 में दिनांक 27-3-2014 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 8900/2014(ओ) प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1-3-2017 को आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देकर निराकृत करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/अ-6/16-17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 10-8-17 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।	

2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय में पहले प्रकरण क्रमांक 90/अ-6/12-13 प्रचलित हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा एक नया प्रकरण क्रमांक 85/अ-6/16-17 दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय को पूर्व से ही पंजीबद्ध पुराने प्रकरण में आगे कार्यवाही करना चाहिए था । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण देखे बिना आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 10-8-17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पूर्व प्रकरण में ही नियमानुसार आगे कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष